क्रम-संख्या–208

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 577/79-वि-1–2023-1-क-17-2023

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे आबकारी अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 में नई धारा 8क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"**विधिमान्यकरण 8क**–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) के किसी उपबंध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।"

धारा 22 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के भण्डारण, श्रेणीकरण तथा मूल्य पर नियंत्रण करने और उसकी पूर्ति तथा वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 8 [उत्तर प्रदेश शीरा नियत्रंण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2021) द्वारा यथा संशोधित] शीरे की उनकी आसवनी इकाईयों के आबद्ध खपत हेतु शीरे के विक्रय तथा पूर्ति पर विनियामक शुल्क अधिरोपित किये जाने का उपबंध करती है। चीनी कारखानों के कुछ अध्यासियों द्वारा उक्त धारा पर आक्षेप किया गया और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कतिपय रिट याचिकाओं में चीनी मिलों की आसवनी इकाईयों द्वारा शीरे की आबद्ध खपत पर विनियामक शुल्क की वसूली को आस्थगित कर दिया।

तत्पश्चात समस्त चीनी कारखानों के साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों को उनकी आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना विनियम के आध्यधीन समान रूप से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 8 का संशोधन किया गया।

पूर्वोक्त रिट याचिकाओं के लम्बित होने के दृष्टिगत, चीनी मिल स्वामियों द्वारा उनकी आसवनी इकाइयों की सीमित खपत हेतु शीरे की आवद्ध खपत पर विनियामक शुल्क की वसूली संभव नहीं हो पा रही थी जिससे सरकार को वित्तीय हानि हो रही थी।

अतएव, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित करके चीनी उद्योगों के साथ–साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों से उन्मोचित शीरे के विक्रय, पूर्ति तथा वितरण पर विनियामक शुल्क अधिरोपित तथा विधिमान्य करने और उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 35 सन् 2021 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 24 दिसम्बर, 2021 से इसके अधीन कृत कार्यवाही को विधिमान्य करना आवश्यक हो गया था।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, विधिमान्यकरण हेतु एक नयी धारा 8–क को बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने और "नियम बनाने की शक्ति" की प्रकिया को सरल बनाने के लिए विद्यमान धारा 22 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आंवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 577(2)/LXXIX-V-1–2023-1-ka-17-2023

Dated Lucknow, December 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Aabkaari Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023

(U.P. Act no. 18 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of December, 2021.

Insertion of new section 8A in U.P. Act no. 24 of 1964

2. In the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam,1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"), *after* section 8, the following section shall be *inserted*, namely:-

"Validation 8A. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary, anything done or purporting to be done, and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no. 1 of 2023) from the 24th day of December, 2021 shall be valid and shall be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times."

Amendment of section 22

3. In section 22 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act."

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 15 of 2023

4.(1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to provide for the control of storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

Section 8 of the said Act [as amended by Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021(U.P. Act no. 35 of 2021)] provides for imposition of regulatory fee on sale and supply of molasses for captive consumption of their distillery units. The said section has been challenged by some occupiers of sugar factories and the Hon'ble High Court of Allahabad has deferred the realisation of regulatory fee on captive consumption of molasses by distillery units of sugar mills in certain writ petitions.

Subsequently,sections 2 and 8 of the said Act were amended *vide* the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) making all sugar factories as well as khandsari sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of their captive units, equally subject to regulation.

In view of pendency of the aforesaid writ petitions, recovery of regulatory fee on captive consumption of molasses by the sugar mill owners for limited consumption of their distillery units was not being possible, which was causing financial loss to the Government.

Therefore, it had become necessary to impose and validate regulatory fee on sale, supply and distribution of molasses released from sugar industries as well as khandsari sugar manufacturing units by implementing the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) with retrospective effect and to validate actions taken under it with effect from the date of commencement of U.P. Act no. 35 of 2021 *viz*, December 24, 2021.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to insert a new section 8-A for validation and to amend the existing section 22 in order to simplify the process of "power to make rules".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no.15 of 2023) was promulgated by the Governor on September 01, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 794 राजपत्र–2023–(2270)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 145 सा0 विधायी–2023–(2271)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।